संख्या- पी-53/14-2-2014-800(108)/2015

विशेष सचिव
उ0प्र0शासन।

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी

विषय- **मेरठ में बी0एस0एन0एल0 द्वारा मुख्य गंगा नहर किसी 106.500 से 148.83 तक कुल 42.33 किमी0 लम्बाई में ओ0एफ0सी0 डालने हेतु 1.905 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति ।**

2- **इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेरठ में बी0एस0एन0एल0 द्वारा मुख्य गंगा नहर किसी 106.500 से 148.83 तक कुल 42.33 किमी0 लम्बाई में ओ0एफ0सी0 डालने हेतु 1.905 हे0 हु ये निम्नलिखित शर्तो के अधीन एतदद्वारा विज्ञप्ति (**Notification) **निर्गत किया जाता है:-**

(1) **वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।**
भा0स0

(2) **प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन**
भा0स0 **भूमि अर्थात 3.810 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। यह वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के एक वर्ष के भीतर किया जायेगा।**

(3) **अनुसार एन0पी0वी0 देय नहीं होगी।**
भा0स0

(4) **परियोजना के निर्माण् व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-**
भा0स0 **जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।**

(5) **प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।**
भा0स0

(6) **प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान आस**
भा0स0 **पास के क्षेत्र की मिट्टी/पत्थर काटने व भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।**

(7) **प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई**
भा0स0

shasnadesh.up.nic.in/go/intra

(8) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल /वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(9) भा0स0 ओ0एफ0सी0/फाइबर केबिल/गैस पाइप डालने हेतु खुदाई के उपरान्त उत्सर्जित मलवे को ठीक प्रकार से उसी जगह पर भरा जायेगा एवं शेष मलवे को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जायेगा।

(10) ओ0एफ0सी0 डालने हेतु ट्रेंच द्वारा खुदाई अधिकतम 1.00 मीटर एवं 0.45 मीटर चौड़ाई में ही की जायेगी।

(11) भा0स0 प्रस्तावित योजना में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा एवं खुदाई के दौरान किसी भी

(12) भा0स0 प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण् किया जायेगा।

(13) भा0स0 प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(14) सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष् का पातन नहीं किया जायेगा।

(15) ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।

(16) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।

(17) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(18) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

(19) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

(20) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।

(21) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।

(22) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

(23) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का का अनुमोदन प्राप्त हो।

(24)

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/ अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(25) अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(26) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(27) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

3- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो।

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव

संख्या-पी-53/14-2-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

देव विहार कालोनी मुरादाबाद।

(7)- गार्ड फाइल।

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव

shasanadesh.up.nic.in/govintra